रजिस्ट्री सं० डी-222 REGISTERED No. D-222

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 23] नई दिल्ली, शनिवार, जून 3, 1972 (ज्येष्ठ 13, 1894)
No. 23] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 3, 1972 (JYAISTHA 13, 1894)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

PART III—SECTION 4

विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं

Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies

---

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया

केन्द्रीय कार्यालय

केन्द्रीय ऋण अनुभाग

बम्बई-1, दिनांक 16 मई 1972

भारत को पुनः अन्तरित की गयी रकम से कटौती कर, लंदन में ब्याज की अदायगी के लिए मुखांकित किये गये और स्टेट बैंक आफ इण्डिया, लंदन कार्यालय की भारत सरकार रुपया ऋणों की बहियों में 31 मार्च 1972 को बकाया रहने वाले सरकारी बचन-पत्रों का विवरण

विवरण		3% परिवर्तन ऋण 1946	3% ऋण 1896-97	जोड़
30 सितम्बर 1971 को बकाया	रु०	4,96,100	2,300	4,98,400
जोड़िए : महीने के दौरान मुखांकित राशि				
	जोड़	4,96,100	2,300	4,98,400
घटाइये : लंदन के रजिस्टरों में बट्टे खाते डाली गयी राशि				
31 मार्च, 1972 को बकाया	रु०	4,96,100	2,300	4,98,400

के० एन० आर० रामानुजम,
मुख्य लेखापाल

वस्त्र उद्योग समिति

(विदेश व्यापार मंत्रालय)

बम्बई, दिनांक 18 मार्च 1972

सं० 25011/19/71-टैक्स-ए०:—टेक्सटाईल कमेटी अधिनियम, 1963 (1963 का 41) की धारा 4 की उप-धारा (2) के उप-खण्ड (ग) तथा (घ) के साथ पठित, धारा 23 के अधीन उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, टेक्सटाइल कमेटी, केन्द्रीय सरकार की पूर्व स्वीकृति से, मिल-निर्मित कपासी सूत का निरीक्षण विनियम, 1966 में अधिकतर संशोधन करने के लिये इसके द्वारा निम्न विनियम बनाती है जोकि भारत सरकार गजट दिनांकित 15 अक्तूबर, 1966 के खण्ड 3—भाग 4 में प्रकाशित किया गया है, अर्थात्:—

1. (1) इन विनियमों को मिल-निर्मित कपासी सूत निरीक्षण (संशोधन) विनियम, 1972 कहा जा सकेगा,

(2) ये उनके शासकीय गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होंगे।

2. मिल-निर्मित कपासी सूत निरीक्षण विनियम, 1966 के (जिसे इसमें आगे उक्त विनियम कहा गया है) विनियम 2 में खण्ड (ख) के बाद निम्न खण्ड विनिष्ट किया जायेगा, अर्थात् :—

"(ग) "उल्लिखित गन्तव्य स्थान" का तात्पर्य किसी गन्तव्य स्थान से है जिसे टेक्सटाइल कमेटी समय समय पर उल्लिखित करे"

3. उक्त विनियमों के विनियम 3 में सारिणी-2 के बाद आनेवाले परिच्छेद के स्थान में निम्न परिच्छेद प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

"ऐसे सूत की अवस्था में जो गुंडियों में है, यदि अलग निकाले गये बंडलों की संख्या 10 से कम है, तो बंडलों की संख्या को पूरा 10 करने के लिये, खोली गई गांठों में से और बंडल निकाले जायेंगे। प्रत्येक बंडल में से सेम्पल के तौर पर एक गुंडी प्रयोगशाला में परीक्षण के लिये अलग निकाली जायेगी। सूत्रांक (काउन्ट) तथा मजबूती (स्ट्रन्थ) अवधारित करने के प्रयोजनों के लिये अलग निकाले गये प्रत्येक सेम्पल में से 2 नमूनों को एक पुंजा (ली) या, यथास्थिति 1/2 पुंजा (ली) लेकर (अर्थात् कुल 20 सॅम्पल) उनका परीक्षण करना आवश्यक होगा। ऐसे सूत की अवस्था में जो शंकु-वलन (कोन) में है, यदि इस प्रकार अलग निकाले गये शंकु-वलनों की संख्या 20 से कम है, तो अलग निकाले गये शंकु-वलनों की संख्या को पूरा करने के लिये, खोली गई। पेटियों में से और शंकु-वलन निकाले जायेंगे। अलग निकाले गये प्रत्येक शंकु-वलन में 1/2 गुंडी के आसपास सॅम्पल के तौर पर लेना तथा सूत्रांक (काउन्ट) एवं मजबूती (स्ट्रन्थ) के लिये चुने गये प्रत्येक सॅम्पल में से एक नमूना लेकर उसका परीक्षण करना पर्याप्त होगा। (सूत्रांक काउन्ट), मजबूती (स्ट्रन्थ) तथा टी० पी० आई० के लिये परीक्षण क्रमशः आई० एस० 237-1951, आई० एस० 239-1951 तथा आई० एस० 238-1952 के अनुसार किया जायेगा।) जब परेषण माल के वजन को निरीक्षण के निष्कर्ष के मुताबिक प्रमाणित करना अपेक्षित हो, तो निरीक्षण के लिये खोली गई गांठों पेटियों थैलों की सम्पूर्ण मात्रा को तोला जायेगा।"

2. युक्त विनियमों में, विनियम 5 के बाद, निम्न विनियम निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :—

5क ऐसे माल के निरीक्षण तथा रद्दबकरण की कसौटी जो कि (उल्लिखित गन्तव्य स्थानों में) निर्यात के लिये है

(1) इन विनियमों में अन्यत्र यथा विहित सामान्य निरीक्षण के अतिरिक्त, ऐसे माल का, जो कि (उल्लिखित गन्तव्य स्थानों में,) निर्यात के लिये है। प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष त्रुटियों के लिये भी निरीक्षण किया जायेगा।

(2) (क) ऐसे सूत की अवस्था में जो शंकु-वलन (कोन) में है, निरीक्षण के लिये खोली गई पेटियों या थैलों में से, प्रयोगशाला में परीक्षणों के लिये अपेक्षित शंकु-वलन को मिलाकर, 40 शंकु-वलन चुने जायेंगे तथा यदि द्वितीय परीक्षण के लिये सॅम्पल अपेक्षित हो, तो उन्हीं पेटियों या थैलों में से और 40 शंकु-वलनों को चुना जायेगा।

(ख) खण्ड (क) के अधीन चुने गये शंकु-वलनों की निम्न त्रुटियों के लिये परीक्षा की जायेगी तथा यदि किसी शंकु-वलन में इन त्रुटियों में से एक या अधिक पायी गई, तो उसे त्रुटिपूर्ण शंकु-वलन समझा जायेगा :—

(एक) शंकु-वलन के आधार पीठ (बेस) में एक इंच से लम्बे टांके,

(दो) नोज में बहुत अधिक टांके,

(तीन) होजरि के सूत से अन्य सूत के पिलपिले शंकु-वलन (कोन),

(चार) दबकर खराब हो गये शंकु-वलन (कालॅप्स्ड कोन)

(पांच) सूत पर स्पष्ट दिखाई देने वाले धब्बे जिसमें चाकसे या अन्यथा लगाये गये चिन्ह भी सम्मिलित हैं।,

(छः) टूटे धागे, या

(सात) जहां अपेक्षित हो उस स्थान पर सूत के सिरे का न होना (सूत का सिरा 12 इंच से कम नहीं होना चाहिए)।

(ग) (एक) चुने गये सॅम्पल में से 20 शंकु-वलन (कोन) जोकि खण्ड (ख) में वर्णित त्रुटियों से मुक्त हैं, प्रमाणित तनाव तथा 500 से 600 गज प्रति मिनट की रफ्तार से शंकु-वलन यंत्र (कोन वाइंडिंग मशीन) पर जिसमें इकहरे सूत के व्यास का ढाई गुणा तथा दोहरे और बटे हुए सूत के लिये उसके व्यास का तीन गुणा स्लब कॅचर (डबल ब्लेडेड टाइप) लगा होगा, फिर से लपेटे जायेंगे तथा 10,000 मीटर में टूट-फूट निकाली जायेगी।

(दो) सूत का व्यास निम्न सूत्र से संगणित किया जायेगा :

$$\frac{1}{28} \times \frac{1}{\sqrt{\text{इंगलिश सूत्रांक (काउन्ट)}}}$$

तथा प्रमाणित तनाव निम्न सूत्र से संगणित किया जायेगा :

तन्तुवयनों में तनाव (टेन्शन इन ग्रेन्स (8×पुंजा (ली) मजबूती —सूत्रांक (काउन्ट) के लिये अपेक्षित) + 28।

(घ) यदि निरीक्षण-कृत सम्बद्ध मालकी समस्त मात्रा (लाट) में से लिये गये सॅम्पलों में निम्न त्रुटियों में से एक या अधिक

पायी जाती है, तो प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष त्रुटियों के विचार से, सम्बन्द्ध माल की समस्त मात्रा (लाट) अधोप्रमाणिक समझी जायेगी:—

(एक) जहां खण्ड (क) के अधीन प्रथम चुने गये सैम्पल में खण्ड (ख) में उल्लिखित त्रुटियों के लिये परीक्षा करने के बाद, 6 से अधिक त्रुटिपूर्ण शंकु-वलन (कोन) पाये जाते हैं।

(दो) जहां प्रथम सैम्पल में 4 से 6 तक त्रुटिपूर्ण शंकु-वलन (कोन) पाने के बाद खण्ड (क) के अधीन चुने गये सैम्पल की उसी तरह दूसरी बार परीक्षा की गई है और दोनों सेम्पलों को एक साथ मिलाकर उनमें 6 से अधिक त्रुटिपूर्ण शंकु-वलन (कोन) होते है।

(तीन) जहां खण्ड (ग) के अनुसार प्रति 10,000 मीटर में निकाली गई टूट-फूट 3 से अधिक है।

(3) (क) ऐसे सूत की अवस्था में जो गुंडियों में है, निरीक्षण के लिये अलग निकाले गये बंडलों में से, प्रयोगशाला में परीक्षणों के लिये अपेक्षित गुंडियों को मिलाकर, 40 गुंडियां चुनी जायेंगी तथा यदि द्वितीय परीक्षा के लिये सैम्पल अपेक्षित हो तो पहले ही अलग निकाली गई गांठों के अन्य बंडलों मे से 40 और गुंडियां चुनी जायेंगी।

(ख) प्रयोगशाला में परीक्षार्थ सैम्पल निकालने के लिये चुने गये बंडल, यह सत्यापित करने के लिये कि क्या वलन (रीलिंग) की बनावट तथा प्रकार मानक के अनुसार है, सामान्य निरीक्षणाधीन होंगे।

(ग) खण्ड (क) के अधीन चुनी गई गुंडियों की निम्न प्रत्यक्ष त्रुटियों के लिये परीक्षा की जायेगी तथा यदि किसी गुंडी में इन त्रुटियों में से एक या अधिक पायी गई तो उसे त्रुटिपूर्ण गुंडी समझा जायेगा :—

(एक) आडा-टेढा ताना-बाना,

(दो) नोज तथा सिरे का, बांधने के लिये उपयुक्त धागे से बंधा न होना,

(तीन) उलझा होना,

(चार) बहुत सी बंधी गांठे जिनके सिरे लम्बे-लम्बे हों,

(पांच) सख्त कचरा पाया जाना,

(छः) बटन की कमी, असमान बटन या दोहरे बटे हुए सूतों का कागपेंच की तरह बटा हुआ नजर आना, या

(सात) असमान सूत्रांकों (काउन्टस) को एक साथ बटना,

(घ) यदि निरीक्षण-कृत सैम्पल में निम्न त्रुटियों में से एक या अधिक पायी जाती है, तो प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष त्रुटियों के विचार से, सम्बद्ध माल की समस्त मात्रा (लाट) अधोप्रमाणित समझी जायेगी :—

(एक) जहां खण्ड (ख) के अनुसार परीक्षित वलन (रीलिंग) की बनावट तथा प्रकार ठहराव (स्पेसिफिकेशन्स) के अनुसार नहीं है।

(दो) जहां खण्ड (क) के अधीन प्रथम चुने वये सैम्पल में, जिसकी खण्ड (ग) में यथा उल्लिखित त्रुटियां देखने के लिये परीक्षा की गई है, 6 से अधिक त्रुटिपूर्ण गुंडियां पायी जाती है,

(तीन) जहां पहले सैम्पल में 4 से 6 तक त्रुटिपूर्ण गुंडियां पाने के बाद खण्ड (क) के अधीन चुने गये सैम्पल की उसी प्रकार दुबारा परीक्षा की गई है और दोनों सैम्पलों में एक साथ 6 से अधिक त्रुटिपूर्ण गुंडियां पायी जाती हैं।

5. विनियम 10 के खण्ड (क) में "4 (क) या 4(ख)" शब्दों तथा अंकों के स्थान में "4 या यथास्थिति, विनियम 5-क के उप-विनियम (2) या (3) का खण्ड (घ) या" शब्द तथा अंक रखे जायेंगे।

ए० एन० रामचन्द्रन, सचिव

भाखड़ा प्रबन्ध बोर्ड

चन्डीगढ़, दिनांक 4 मई 1972

सं० 77041 बी०-523 (2)/5बी—पंजाब पुर्नगठन अधिनियम 1966 (1966 का 31) की धारा 79 की उपधारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भाखड़ा प्रबन्ध बोर्ड बोर्ड, केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से, एतद्द्वारा भाखड़ा प्रबन्ध बोर्ड के अधीक्षक इंजीनियर को बोर्ड की ओर से किसी न्यायालय में या किसी प्राधिकारी के समक्ष वाद, अपील या पुनरीक्षण संस्थित करने के लिए और उनमें प्रतिरक्षा करने के लिए और न्यायालय या उसके बाहर कार्यवाहियों में या तो व्यक्तिगत रूप से या विधि सलाहकार की मारफ़त, जैसा कि 2500/- रुपये से अधिक मूल्य या रकम के सिविल और राजस्व मामलों के बारे में आवश्यक समझा जाए, माध्यस्थम या समझौते के हित में करार करने के लिए, एतद्-द्वारा अपनी शक्तियां प्रत्यायोजित करता है।

नृपिंदर सिंह, सचिव
भाखड़ा प्रबन्ध बोर्ड

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम

नई दिल्ली-1, दिनांक 16 मई 1972

सं० 3/72—यह अधिसूचित किया जाता है कि निगम का शेयर रजिस्टर बन्द कर दिया जायेगा और हस्तांतरणों का पंजीकरण 16 जून, 1972 से 30 जून, 1972 तक (दोनों दिन सहित) निलम्बित रहेगा।

बोर्ड के आदेश से,
चरन दास खन्ना, अध्यक्ष

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

नई दिल्ली, दिनांक 11 मई 1972

सं० जनरल/एमेन्ड/34—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 97 द्वारा प्रदत्त शक्तियों क

प्रयोग करते हुए कर्मचारी राज्य बीमा निगम, कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम, 1950 में निम्नलिखित संशोधन करती है, जिसे कि दिनांक 2-5-1970 के भारत के राजपत्र में पहले प्रकाशित किया गया था और उक्त धारा की उपधारा (1) के अनुसार सुझाव/विरोध/विचार आदि मांगे गये थे, अर्थात्:—

विनियम 17 तथा 95-क को निम्न प्रकार संशोधित किया जायेगा:—

विनियम 17, **पहचान पत्र.**—उपयुक्त कार्यालय प्रत्येक व्यक्ति, जिसे कि बीमा संख्या दी गई है, उसके लिये प्रपत्र 4 में एक पहचान पत्र बनवाने का प्रबन्ध करेगा तथा उस पत्र में उसके परिवार का ब्यौरा लिखेगा जोकि चिकित्सा देख रेख का अधिकारी है और ऐसे सब पहचान पत्रों को नियोक्ताओं के पास भेज देगा। नियोक्ता जब भी कर्मचारी 13 सप्ताह की सेवा में रहा हो पहचान पत्र पर कर्मचारी के हस्ताक्षर या अगुष्ठ चिन्ह प्राप्त करके तथा उस पर आवश्यक प्रविष्ठियां करने के पश्चात् पहचान पत्र को कर्मचारी को सौंप देगा। नियोक्ता कर्मचारी से पहचान पत्र के प्राप्त करने की एक रसीद प्राप्त कर लेगा। ऐसे कर्मचारी का पहचान पत्र जिसने कि 13 सप्ताह से पूर्व ही नौकरी छोड़ दी हो उसे नहीं दिया जायेगा, परन्तु उसे उपयुक्त कार्यालय को जितना भी शीघ्र सम्भव हो सके वापिस कर दिया जायेगा।

विनियम 95-क(4)—उपयुक्त कार्यालय प्रपत्र 4 में परिवार के ब्यौरे को जोकि चिकित्सा हितलाभ के अधिकारी हैं, लिखने का प्रबन्ध करेगा।

विनियम 95-क(5).—निकाल दिया गया है।

प्रपत्र 4—वर्तमान प्रपत्र 4, संशोधित प्रपत्र 4 द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा जैसा कि नीचे दिया गया है।

प्रपत्र 4-क—वर्तमान प्रपत्र 4-क को समाप्त कर दिया जायेगा।

प्रपत्र-4

(विनियम 17 और 95-क)

पहचान पत्र

बीमा संख्या — नियोजक का कोड नं०

लिंग तथा स्थिति

नाम		जन्म वर्ष, वर्ग प्रवेश तिथि
पिता या पति का नाम		स्थानीय कार्यालय
वर्तमान पता		औषधालय
		पहचान चिन्ह

नौकरी सम्बन्धी परिवर्तन			
तिथि	कोड नं०	तिथि	कोड नं०

परिवार के सदस्यों का ब्यौरा				
क्रम सं०	नाम	जन्मतिथि	बी०व्य०पहचान के साथ चिन्ह सम्बन्ध	बीमा चिकित्सा अधिकारी/बीमा चिकित्सा वृत्तिक द्वारा साक्ष्यांकन

बी० व्य० के० हस्ताक्षर — जारीकर्त्ता
या अंगूठे का निशान

I. बी० व्य० पूरा छापा जायेगा

II. छपते समय पहचान चिन्ह के लिये बड़ा खाना रखा जायेगा।

उप बीमा आयुक्त

दिनांक 12 मई 1972

सं० इन्स 1.22(1)-2/72(9).—कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम, 1950 के विनियम 5 के उपविनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक ने यह निश्चय किया है कि निम्न अनुसूची में निर्दिष्ट क्षेत्रों में वर्ग 'ए', 'बी', तथा 'सी' के लिये प्रथम अंशदान एवं प्रथम लाभ अवधियां नियत दिवस 13 मई, 1972 की मध्यरात्रि को बीमा योग्य रोजगार में लगे व्यक्तियों के लिये प्रारम्भ व समाप्त होंगी जैसा कि निम्न सूची में दिया गया है :—

	प्रथम अंशदान अवधि		प्रथम लाभ अवधि	
वर्ग	जिस मध्य रात्रि को प्रारम्भ होती है	जिस मध्य रात्रि को समाप्त होती है	जिस मध्य रात्रि को समाप्त होती है	जिस मध्य रात्रि को समाप्त होती है
ए	13-5-1972	29-7-1972	10-2-1973	28-4-1973
बी	13-5-1972	30-9-1972	10-2-1973	30-6-1973
सी	13-5-1972	25-11-1972	10-2-1973	25-8-1973

अनुसूची

1. कनायान्नूर तालुक में राजस्व ग्राम एडापल्ली नार्थ, एडापल्ली साउथ, पूनिथूरा तथा थिरुवान्कुलम के भीतर का क्षेत्र;
2. कुन्नाथुनाड तालुक में राजस्व ग्राम चेमानाड के भीतर का क्षेत्र;
3. केरल राज्य में अर्णाकुलम जिले के कनायान्नूर तालुक में राजस्व ग्राम एलनकुलम का भाग (जोकि थेवारा नामक क्षेत्र से घिरा हुआ है) तथा थिप्पुनिथुरा नामक स्थान जोकि योजना द्वारा पहले से ही परिपालित है, सहित ग्राम नाडामेल।

बी० आर० मदान,
उप-बीमा आयुक्त

RESERVE BANK OF INDIA

Central Office

(Central Debt Section)

Bombay-1, the 16th May 1972

STATEMENT OF GOVERNMENT PROMISSORY NOTES ENFACED FOR PAYMENT OF INTEREST IN LONDON, UNDER DEDUCTION OF AMOUNT RE-TRANSFERRED TO INDIA, AND OUTSTANDING IN THE BOOKS OF THE INDIAN GOVERNMENT RUPEE LOANS OFFICE STATE BANK OF INDIA, LONDON ON THE 31ST MARCH 1972.

Particulars		3% Conversion Loan 1946	3% Loan 1896-97	Total
Balance on 30th September 1971	Rs.	4,96,100	2,300	4,98,400
ADD :				
Amount enfaced at during the month				
	Total	4,96,100	2,300	4,98,400
DEDUCT :				
Amount written off in the London Registers.				
Balance on 31st March 1972	Rs.	4,96,100	2,300	4,98,400

K. N. R. Ramanujam,
Chief Accountant.

TEXTILES COMMITTEE

(Ministry of Foreign Trade)

Bombay, the 18th March 1972

No. 25011/19/71-*Tex.-A.*—In exercise of the powers conferred on it under section 23, read with sub-clauses (c) and (d) of sub-section (2) of section 4, of the Textiles Committee Act, 1963 (41 of 1963), the Textiles Committee, with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Mill-made Cotton Yarn Inspection Regulations, 1966, published in Part III-Section 4 of the Gazette of India, dated the 15th October, 1966 namely:—

1. (1) These regulations may be called the Mill-made Cotton Yarn Inspection (Amendment) Regulations, 1972.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Mill-Made Cotton Yarn Inspection Regulations, 1966 (hereinafter referred to as the said regulations), in regulation 2, after clause (b), the following clause shall be *inserted*, namely :—

"(c) 'specified destination' means any destination as may be specified by the Textiles Committee from time to time."

3. In the said regulations, in regulation 3, for the paragraph occurring after Table-II, the following paragraph shall be *substituted*, namely :—

"In the case of yarn in banks, if the number of bundles drawn is less than 10, further bundles shall be drawn from the bales opened to bring the total number of bundles upto 10. One hank from each bundle shall be drawn as sample for laboratory tests. For the purposes of determining count and strength it shall be necessary to test 2 *Specimen* (one lea or 1/2 lea as the case may be) from each sample hank drawn (*i.e.* 20 samples in all). In the case of yarn in cones, if the number of cones so drawn in less than 20, further cones shall be drawn from the cases opened to bring the total number of cones drawn upto 20. It shall be sufficient if about 1/2 hank is drawn as sample from each cone drawn and one specimen is tested from each sample selected for count and strength. (Testing for count, strength and TPI shall be carried out as per *I.S.* 237-1951, I.S. 239-1951 and I.S. 238-1952 respectively). When the weight of the consignment is *required* to be certified as per inspection findings, the entire contents of the bales/cases/bags opened for inspection shall be weighed".

4. In the said regulations, after regulation 5, the following regulation shall be *inserted*, namely :—

"5A. *Inspection and criteria for rejection of material made for export (to specified destinations).*

(1) In addition to the normal inspection as prescribed elsewhere in these regulations, material meant for export (to specified destination) shall also be inspected for visual and hidden defects.

(2) (a) In the case of yarn in cones, 40 cones inclusive of the cones required for laboratory tests shall be selected from the cases or bags opened for inspection and if a sample is required for the second examination 40

more cones shall be selected from the same cases or bags.

(b) The cones selected under clause (a), shall be examined for the following defects and any cones containing one or more of these defects shall be considered as a defective cone :—

(i) stitches of more than one inch in length at the base,

(ii) excessive stitches at the nose,

(iii) soft cones in case of yarn other than hosiery yarn,

(iv) collapsed cones,

(v) prominent stains inclusive of chalk and other marking on the yarn,

(vi) cut-threads, or

(vii) absence of tail-end where it is required (the length of the tail-end should not be less than 12 inches).

(c) (i) 20 cones from the sample selected and free from defects mentioned in clause (b) shall be rewound on a cone-winding machine at a standard tension and a speed of 500 to 600 yards per minute with a slub catcher (double bladed type) setting of two and a half times the diameter of the yarn for single yarn and three times the diameter for doubled and plied yarn and the breakages per 10,000 m. worked out.

(ii) The diameter of yarn shall be calculated from the formula :

$$\frac{1}{28} \times \frac{1}{\sqrt{\text{English Count}}}$$ —and the standard tension

shall be calculated from the formula :

Tension in grains (4 x lea strength —required for the count + 28

(d) A lot shall be considered sub-standard, for visual and hidden defects in the event of one or more of the following defects occurring in the samples from the lot inspected :—

(i) Where the first sample selected under clause (a), after being examined for defects specified in clasue (b), is found to contain more than 6 defective cones;

(ii) where after finding 4 to 6 defective cones in the first sample, a sample selected under clause (a) is examined for the second time in a similar manner and both the samples together contains more than 6 defective cones;

(iii) where the breakage per 10,000 m. arrived as in clause (c) exceed 3.

(3) (a) In the case of yarn in hanks, 40 hanks inclusive of the hanks required for laboratory tests shall be selected from the bundles drawn for inspection and if a sample is required for the second examination 40 more hanks shall be selected from the other *bundles* of the bales already drawn.

(b) The bundles selected for drawing samples for laboratory tests shall be subjected to general inspection to verify whether the make up and the type of reeling are according to the specifications.

(c) The hanks selected under clause (a), shall be examined for the following visual defects and any hank containing one or more of these defects shall be considered as a defective hank :—

(i) improper leasing,

(ii) nose and tail-end not tied with tie yarn,

(iii) entanglement,

(iv) presence of many knots with long tail-ends,

(v) presence of hard waste,

(vi) excessive presence of twistlessness, irregular twist or cork screw effects in case of plied yarns, or

(vii) plying of wrong counts,

(d) A lot shall be considered sub-standard for visual and hidden defects in the event of one or more of the following defects occurring in the sample inspected :—

(i) where the make-up and or the type of reeling examined as in clause (b) are not according to specifications;

(ii) where the first sample selected under clause (a) and examined for defects as specified in clause (c) is found to contain more than 6 defective hanks;

(iii) where after finding 4 or 6 defective hanks in the first sample, a sample selected under clause (a) is examined for the second time in a similar manner and both the samples together contain more than 6 defective hanks.

5. In clause (a) of regulation 10 for the words and figures "4 (a) or 4(b) or", the words and figures "4 or clause (d) of sub-regulations (2 or (3) of regulation 5A, as the case may be, or" shall be *substituted*.

A. N. RAMACHANDRAN
Secretary

BHAKRA MANAGEMENT BOARD

Chandigarh, the 4th May 1972

No. 7704/*B*-523(2)/5*B*.—In exercise of the powers conferred by sub-section (7) of section 79 of the Punjab Reorganisation Act, 1966 (31 of 1966), the Bhakra Management Board, with the approval of the Central Government, hereby delegates to the Superintending Engineers in Bhakra Management Board its powers to institute and defend suits, appeals or revisions in any court of law or before any authority on behalf of the Board and to agree to arbitration or compromise in proceedings in court or outside either personally or through the Legal Adviser as may be deemed necessary in respect of the Civil and Revenue cases not exceeding Rs. 2,500 in value or amount.

ILLEGIBLE
Secretary
Bhakra Management Board

INDUSTRIAL FINANCE CORPORATION OF INDIA

New Delhi-1, the 16th May 1972

No. 3/72.—It is hereby notified that the Share Register of the Corporation will be closed and the registration of transfers suspended from the 16th June, 1972 to the 30th June, 1972 (both days inclusive).

By order of the Board,
C. D. KHANNA
Chairman

AIR-INDIA EMPLOYEES' PASSAGE REGULATIONS, 1960

The 11th May 1972

No. GM/56.—In exercise of the powers conferred by Section 45 of the Air Corporations Act, 1953 (27 of 1953), Air-India hereby amends with effect from April 1, 1972, the Air-India Employees' Passage Regulations, 1960, as follows, namely :

In the said Regulations, after Regulation 11, the following new Regulation shall be inserted as Regulation 11-A, namely :

"11-A (i) An employee who has retired from the service of the Corporation after completion of a minimum of 20 years' continuous service may be allowed, ordinarily by economy class, free and/or concessional passages as follows, *viz.*, one free passage every calendar year or two free passages every alternate calendar year and not more than four 75 per cent rebated passages every calendar year. The passages so allowed may be utilised either on domestic sectors or on international sectors of any one of the regional routes specified in sub-Regulation (ii) of Regulation 4 in such a way that he may make one complete circle trip between the two terminal points of any one regional route commencing from and terminating at the first station of emplanement; provided, however, that not more than one or two free passages, as the case may be, and not more than three rebated passages shall be utilised on international sectors in any one calendar year;

(ii) Any unauthorised use of the passages granted under sub-Regulation (i) above or any breach of these Regulations may entail a permanent withdrawal of the concessions from such ex-employee;

(iii) The provisions contained in Regulations 2, 3, 7, 8, 9 and 12 of these Regulations shall apply mutatis mutandis to the case of an ex-employee."

B. J. SUKTHANKAR
Secretary

OIL & NATURAL GAS COMMISSION

CORRIGENDUM

The following amendments are made to the Oil & Natural Gas Commission (Travelling Allowance) Amendment Regulations, 1972 published vide Notification No. 17(49)/70-Reg. in the gazette of India, April 22, 1972 (Vaisakha 2, 1894) (Part III-Section 4) :—

Page No. and Amendment

987——(i) For the word "attended" in the 2nd line of proviso under clause (g), substitute the word "attendant".

Form 4-*A*—The existing Form 4-A shall be deleted.

987——(ii) Add the word "or" in between the words "class" and "of" occurring in second line of clause (h)(i).

S. C. GARG
Administrative officer (sel. Gde.) for Secretary to the Commission.

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

New Delhi, the 11th May 1972

No. Genl/Amend.—In exercise of the powers conferred by Section 97 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Employees' State Insurance Corporation hereby makes the following amendment in the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the same having been previously published in the Gazette of India dated 2-5-1970 inviting suggestions/objections/comments if any, as required by sub-section (1) of the said Section namely :—

Regulations 17 & 95-*A shall be amended as under* :—

Regulation 17 *Identity Card*—The appropriate office shall arrange to have an identity card prepared in Form 4 for each person in respect of whom an insurance number is allotted and shall include in such card the particulars of the family entitled to medical benefit under Regulation 95-A and shall send all such identity cards to the employer. Such employer shall if and when the employee has been in service for 13 weeks, obtain the signature or thumb impression of the employee on the identity card and shall after making relevant entries thereon, deliver the identity card to him. The employer shall obtain a receipt from the employee for the identity card. The identity card in respect of an employee who has left employment before 13 weeks shall not be given to him, but shall be returned to appropriate office as soon as possible.

Regulation 95-*A*(4) The appropriate office shall arrange to add in Form 4, the particulars of the family entitled to medical benefit.

Regulation 95-*A*(5) Deleted

Form 4 The existing form 4 shall be substituted by the revised form 4 as given below :

FORM—4

(Regulation 17&95-A)

IDENTITY CARD

ISNSURANCE NO. EX & STATUS	EMPLOYER'S CODE NO.
NAME	Yr. Bth. Set Date of Entry
FATHER OR HUSBAND'S NAME	LOCAL OFFICE
PRESENT ADDRESS	DISPENSARY
	IDENTIFICATION MARKS

EMPLOYMENT CHANGES			
DATE	CODE No.	DATE	CODE No.

PARTICULARS OF MEMBERS OF FAMILY					
S. No.	NAME	Date of birth	Relationship with I. P.	Identification marks	Attestation by I.M.O./ I.M.P.

Signature or Thumb impression of the I.P.

Issued by

(*i*) I.P. will be printed in full.

(*ii*) Bigger column will be provided for identification marks at the time of printing.

The 12th May 1972

*No. INS. I.*22(1)-2/72(9)—In exercise of the powers conferred by sub-regulation (1) of Regulation 5 of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has determined that in the areas specified in the Schedule given below the first contribution and first benefit periods for Sets 'A', 'B' and 'C' shall begin and end in respect of persons in insurable employment on the appointed day of midnight of 13th May, 1972 as indicated in the table given below:—

Set	First Contribution period		First benefit period	
	Begins on midnight of	Ends on midnight of	Begins on midnight of	Ends on midnight of
A	13-5-1972	29-7-1972	10-2-1973	28-4-1973
B	13-5-1972	30-9-1972	10-2-1973	30-6-1973
C	13-5-1972	25-11-1972	10-2-1973	25-8-1973

Schedule

1. The area within the revenue village of Edappally North, Edappally South, Poonithura and Thiruvankulam in Kanayannur Taluk;
2. The area within the revenue village of Chemmanad in Kunnathunad Taluk;
3. Portion of revenue village of Elamkulam (Not covered by the area known as Thevara) and portion of Nadamel village including the place known Thrippunithura which is already implemented in Kanayannur Taluk in the Ernakulam District in the State of Kerala.

B. R. MADAN,
Deputy Insurance Commissioner

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972